9. टेलर को बंगाल सरकार के सचिव का 25 जून, 1857 का पत्र।
10. के, वही, खंड–3, पृ0 83–84
11. टेलर, आवर क्राइसिस, पृ0–44
12. बंगाल सरकार के सचिव, ए0आर0 यंग को मुजफरपुर के मैजिस्ट्रेट एच रिचार्डसन का 17 जून, 1857 का पत्र।
13. चार्ल्स बॉल, वही खंड–1, पृ0–449
14. चार्ल्स बॉल, वही खंड–1, पृ0–449–50
15. द म्यूटिनी ऑफ बंगाल आरमी, पृ0–191
16. आरा के जज को पटना के आयुक्त का 12 अगस्त, 1857 का पत्र।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में चम्पारण सत्याग्रह की भूमिका

डॉ. अमित कुमार*

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चम्पारण सत्याग्रह का महत्व बहुआयामी है। अफ्रीका से लौटने के बाद गाँधीजी ने चम्पारण से ही भारतीय राष्ट्रीय जागरूकता का प्रथम प्रयोग शुरू किया था जिसका बीज मंत्र उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की भावना एवं चेतना को बतलाया था।

चम्पारण में महात्मा गाँधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में एक आत्मिक एवं नैतिक बल की चेतना भर दी जो नागरिक स्वतंत्रता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। किसी भी रचनात्मक क्रांति की प्रगति एवं सफलता के लिए ये नागरिक स्वतंत्रता के तत्व सार्वधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महात्मा गाँधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए निम्नांकित समझ की जरूरत है।

हमें आदर्शों अथवा उन्हें कार्यरूप में परिणत करने से जरा भी नहीं डरना चाहिए। जब हम धन की अपेक्षा सत्य को, वैभव और शक्ति की शान–बान की अपेक्षा निर्भीकता को तथा स्वार्थ प्रेम की अपेक्षा उदारता को प्रश्रय देने लगेंगे तभी सही अर्थ में आध्यात्मिक राष्ट्र बन सकेंगे। यदि हम अपने घरों को, अपने महलों एवं मंदिरों को धन की लोलुपता एवं दिखावा से मुक्त करेंगे तथा उन्हें नैतिकता की विभूति से अभिमंडित दिखायेंगे तभी स्वयंसेवक सेना के दुबोर्द्ध बोझ को वहन बिना किए हुए शत्रुओं के किसी भी संगठन से संघर्ष कर सकेंगे।[1] ये सारे गुण नागरिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं।

महात्मा गाँधी ने नागरिक स्वतंत्रता का प्रथम पाठ चम्पारण सत्याग्रह से शुरू किया। दुनिया के इतिहास की अनेक अन्य क्रांतियों की तरह चम्पारण का आंदोलन एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था की भयंकर बुराइयों के विरूद्ध असंतोष तथा प्रतिरोध का परिणाम था। चम्पारण में शोषण की यह प्रथा पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में वर्षों से कायम थी। इस प्रथा के अंतर्गत गोरे निलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती एवं उत्पादन इस क्षेत्र में करते आ रहे थे। उन्हें केवल अपने लाभ एवं मुनाफा की धुन रहती, इसके लिए इस क्षेत्र के सीधे–सादे एवं विपन्न ग्रामीण लोगों के हितों की वे कुछ भी परवाह नहीं करते। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी, अन्याय एवं भयंकर शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता

***एम.ए., पीएच.डी., इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

था। निलहे साहबों का दीन–हीन रैयतों के साथ व्यवहार लोमहर्षक अत्याचारों की एक लम्बी कहानी है।[2]

नीलहे साहबों के दु:सह्य अत्याचारों से पीड़ित चम्पारण के रैयत जहाँ कहीं से भी संभव हो, अपने उद्धार का मार्ग तलाश रहे थे। शीघ्र ही उन्हें सही रास्ता मिला। चम्पारण के लोगों ने अपनी मुक्ति हेतु महात्मा गाँधी को बुलाया। पीड़ित लोगों ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर यह सवाल प्रस्तुत किया। इस क्रम में महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पीड़ित भारतीयों के उद्धार के लिए उनके निर्भीकतापूर्वक संघर्ष की कहानी वे सुन चुके थे।

चम्पारण में महात्मा गाँधी की यात्रा चम्पारण के राजकुमार शुक्ल तथा अन्य लोगों के अनुरोध पर हुई। इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसम्बर, 1916 में आयोजित 31वें अधिवेशन के दरम्यान लखनऊ में उनसे भेंट की थी। इस अधिवेशन में भारत के सभी भागों से 2300 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बिहार के भी कई प्रतिनिधि[3] इसमें भाग लेने गए थे। इसका खास कारण यह था कि इस प्रांत से सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने वाले थे। इनमें एक था पटना विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा चम्पारण के नीलहे साहबों एवं उनके रैयतों के संबंध पर। श्री राजकुमार शुक्ल, जिन्हें नीलहे साहबों की ज्यादतियों का व्यक्तिगत कटु अनुभव था। चम्पारण के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ कांग्रेस में भाग लेने गए थे। इनके विषय में महात्मा गाँधी ने कहा था: ''श्री शुक्ल बिहार में हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो लेने के लिए कृतसंकल्प थे।''[4]

यह कांग्रेस सरकार से उत्तर बिहार में यूरोपीय कोठीवालों एवं नीलहे रैयतों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और कृषि समस्याओं के कारणों की जाँच तथा उन्हें दूर करने के उपायों की अनुशंसा करने हेतु अधिकारियों तथा गैर–सरकारी सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त करने का अनुरोध करती है।[5]

कांग्रेस ने जब इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तदुपरांत बिहारी प्रतिनिधियों ने महात्मा गाँधी को चम्पारण आने का अनुरोध किया। विशेष करके राजकुमार शुक्ल ने उनसे स्वयं चम्पारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने पर बल दिया। महात्मा गाँधी ने आगामी मार्च या अप्रैल माह में चम्पारण की यात्रा करने का वचन दिया। कलकत्ता अधिवेशन से वे शुक्ल के साथ पटना होते हुए 11 अप्रैल को मुजफरपुर पहुँचे। 15 अप्रैल, 1917 को दोपहर की गाड़ी से महात्मा गाँधी ने मुजफरपुर के बाबू धरणीधर और रामनौमी प्रसाद के साथ मोतिहारी के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने जी. बी. बी. कॉलेज (वर्तमान लंगट सिंह

कॉलेज) में मुजफरपुर के नागरिकों के साथ जिनमें यहाँ के वकील भी थे। नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया जो नागरिक स्वतंत्रता का आधार–स्तंभ बना। यह सोचकर कि सरकार किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती थी। महात्मा गाँधी ने एक ट्रंक में अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुएँ रख ली थीं। वस्तुतः महात्मा गाँधी भोजन, वस्त्र एवं अन्य जरूरतों के संदर्भ में सर्वाधिक सरल जीवन व्यतीत करने के आदी हो चुके थे। गाड़ी तीसरी पहर 3 बजे मोतिहारी पहुँची। स्टेशन से महात्मा गाँधी को सीधे बाबू गोरख प्रसाद नामक एक स्थानीय वकील के घर ले जाया गया। गोरख बाबू का मकान उस समय से एक धर्मशाला सा बन गया।[6] इसी समय यह सूचना पाकर कि ग्राम जसौली पट्टी की रैयत के साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया था, गाँधीजी ने दूसरे ही दिन वहाँ जाने का निर्णय किया। मोतिहारी में जौ रैयत उनके दर्शनार्थ आए थे, उन्हें अगले वृहस्पतिवार को उनका बयान लेने के लिए बुलाया गया। 16 अप्रैल को सवेरे 9 बजे महात्मा गाँधी दो द्विभाषियों (बाबू धरणीधर और रामनौमी प्रसाद) को लेकर जसौली पट्टी के लिए रवाना हो गए। यह वैशाख का महीना था। प्रचंड गर्मी का दिन, किंतु महात्मा गाँधी ने मौसम की परवाह किए बिना गाँव में जाकर अपनी आँखों से सब कुछ देखने का निर्णय लिया। वस्तुतः उनके हृदय में नागरिकों की रक्षा की जो आग जल रही थी उसकी तुलना में धूप और लू कुछ भी नहीं था।[7] 9 मील की दूरी हाथी पर तय करके नागरिक हितों के प्रेमी यह दल लगभग दोपहर के समय चन्द्रहिया नामक एक गाँव में पहुँचा। इस गाँव से मोतिहारी कोठी को नील की आपूर्ति होती थी। महात्मा गाँधी जब उस गाँव के निवासी से बात कर रहे थे और वह कोठी से सम्बद्ध होने के नाते उसके साहब के दबदबा के विषय में जोर–जोर से उन्हें बता रहा था, उसी समय सादे लिबास में एक दारोगा साईकिल पर आया और उन्हें सूचित किया कि कलक्टर साहब ने उन्हें बुलाया है। महात्मा गाँधी ने दारोगा को सवारी का प्रबंध करने को कहा और अपने सहकर्मियों से कहा कि– ''ऐसा कुछ होगा उसकी आशा कर रहे थे, आप इसकी चिंता नहीं करें। आप जसौली पट्टी आएँ और वहाँ जाकर काम पूरा करें। यदि आवश्यकता हो तो वहीं रात में ठहर जा सकते हैं। दारोगा ने एक बैलगाड़ी लाई और महात्मा गाँधी उसी पर सवार होकर मोतिहारी के लिए रवाना हुए तथा उनके दोनों सहकर्मी जसौली पट्टी की ओर बढ़े।

महात्मा गाँधी के थोड़ी दूर जाने के बाद आरक्षी उपाधीक्षक एक टमटम पर आया और आरक्षी उपाधीक्षक ने महात्मा गाँधी को अधिसूचना की एक प्रति दी। इस पर 16 अपैल, 1917 को तारीख दी। महात्मा गाँधी उसे शांति के साथ पढ़ गए। अधिसूचना चम्पारण के जिला मैजिस्ट्रेट, डब्ल्यू. वी. हाईकॉक ने जारी की थी।

''महात्मा गाँधी पर जारी की गई अधिसूचना और वारंट को जिला के किसी भी इलाके में आपसी उपस्थिति से आम अमन को खतरा उत्पन्न होगा और उससे गंभीर उपद्रव हो सकते हैं। जिसके फलस्वरूप लोगों को हताहत होने की आशंका है और चूँकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस अधिसूचना के द्वारा आपको इस जिला में रहने से अवर्जित करता हूँ और आपको अगले ट्रेन से इस जिला को छोड़ देना होगा।''

आयुक्त का इस संकेत था कि मेरा उद्देश्य संभवतः आंदोलन खड़ा करना प्रतीत होता है, मैं जोरदार खंडन करता हूँ। मेरी इच्छा एकमात्र जानकारी की तलाश है और इसमें मैं लगा रहूँगा जब तक कि मैं उन्मुक्त हूँ। महात्मा गाँधी ने जिस उन्मुक्तता की बात की उसमें नागरिक स्वतंत्रता का बीज छिपा हुआ था जो बाद में उनके अनेक कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में प्रस्फुटित हुआ है।

मोतिहारी में जो कुछ हुआ था या हो रहा था उसकी सूचना तार द्वारा मदनमोहन मालवीय, एच. एस. पोलक, राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के पास भेज दी गई। रेवरेंड सी. एफ. ऐंड्रयूज को तार भेजकर आने को कहा गया। महात्मा गाँधी रात भर जगकर चिट्ठियाँ लिखते रहे और ''बाबू ब्रज किशोर प्रसाद को आवश्यक आदेश देते रहे।''[8] उनके जेल जाने के बाद दूसरे लोगों को किस प्रकार काम करना था, इसके लिए एक योजना उन्होंने बना दी और उसकी एक–एक प्रति धरणीधर बाबू और रामनौमी बाबू को जसौली पट्टी से लौटने पर दे दी।

गाँधी जी पर नोटिस और सम्मन जारी किए जाने की खबर आग की लपटों की तरह फैल गई। 17 अप्रैल को मोतिहारी में ''एक सर्वाधिक अप्रत्याशित अभूतपूर्व दृश्य था।'' किसानों की भारी भीड़ लग गई थी और बयान का प्रलेखन शुरू हुआ। महात्मा गाँधी के साथी एकत्र लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए हर संभव उपाय कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने भी व्यवस्था बनाए रखने में उनके सहयोग का उपयोग किया। महात्मा गाँधी ने यह सर्वथा स्पष्ट कर दिया था कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह का कष्ट पहुँचाने का उनका इरादा नहीं था। उन्होंने यह कहा था कि अधिकारियों के आदेश के विरूद्ध ''सविनय प्रतिरोध करने का उन्होंने संकल्प किया था।'' यह सविनय अवज्ञा प्रतिरोध ही तो नागरिक स्वतंत्रता का मूल था। इसका प्रत्यक्ष दृश्य उनके समक्ष उपस्थित था। एक क्षण के लिए लोग दंड के भय से मुक्त हो गए थे एवं अपने नवप्राप्त सुहृदय के प्रेम की सत्ता के सम्मुख प्रणत हो रहे थे।[9] महात्मा गाँधी के प्रेम ने हजारों किसानों को नागरिक स्वतंत्रता के मंत्र से दीक्षित किया। यह एक विस्मयकारी दृश्य था। नागरिक स्वतंत्रता की महान जीत। महात्मा गाँधी ने इस संदर्भ में स्वयं ही लिखा था ''इसमें किंचित भी अतिश्योक्ति नहीं, यह कहना

बिल्कुल सही होगा कि किसानों के साथ इस भेंट में मैं भगवान से अहिंसा एवं सत्य का साक्षात्कार कर रहा था।''[10] दूसरे शब्दों में नागरिक स्वतंत्रता का साक्षात्कार कर रहा था।

महात्मा गाँधी ने इसका ध्यान रखा था कि उनका यह मानवीय एवं नागरिक कार्य किसी भी तरह कांग्रेस के नाम के साथ संबद्ध नहीं हो जाए। चम्पारण की आम जनता के कानों तक उस समय कांग्रेस का नाम नहीं पहुँचा था। सरकार एवं कोठीवालों को कांग्रेस के प्रति कई तरह के जर्बदस्त भ्रम थे। इतना ही काफी था कि कांग्रेस के नाम के बदले उसका संदेश जनता तक पहुँच जाए। महात्मा गाँधी ने हमेशा कहा कि ''हम काम चाहते थे, नाम नहीं। वस्तु चाहते थे छाया नहीं।'' कांग्रेस के नाम से ही सरकार और उनपर प्रभाव रखने वाले कोठी भड़क उठते थे। उनकी दृष्टि में कांग्रेस वकीलों के विवादों का, कानून के आवरण में उनके उलंघन का, बम और अराजकतावादी कांडों के राजनय और प्रवंचना का दूसरा नाम था। हमें दोनों का ही भ्रम दूर करना था।[11]

17 अप्रैल को सारा दिन किसानों का बयान लेने का काम जारी रहा। साथ ही भारत के विभिन्न भागों से अनेकानेक तार आते रहे। श्री पोलक ने तार द्वारा सूचित किया कि वे उसी दिन संध्या में पटना पहुँच रहे थे। मजहरूल हक ने आने की इच्छा तार द्वारा सूचित की किंतु महात्मा गाँधी ने उन्हें जवाब में कहा था कि उनकी गिरतारी के बाद, श्री हक की उपस्थिति की आवश्यकता होती। पंडित मनदमोहन मालवीय ने इस आशय की सूचना भेजी कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का काम छोड़ कर वे आ सकते थे लेकिन महात्मा गाँधी ने उन्हें उत्तर दिया था कि उनके आने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी। राजेन्द्र बाबू को तार भेजकर अविलम्ब आने तथा स्वंयसेवकों को साथ लाने को कहा गया। संध्या में पटना में एक छोटा सा सम्मेलन बुलाया गया। उनसे यह व्यवस्था की गई कि राजेन्द्र बाबू, पोलक और कुछ अन्य लोग 18 अप्रैल को मोतिहारी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं बाबू ब्रज किशोर प्रसाद को भी, जिन्हें राजेन्द्र बाबू ने तार द्वारा सूचना दे दी थी, उसी दिन आने की आवश्यकता थी।

नागरिक स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करने हेतु गाँवों का दौड़ा करना आवश्यक था। 17 अप्रैल 1917 को गाँधी जी ने मोतिहारी के समीप गाँवों में जाना चाहते थे। जब उस दिन शाम तक कोई सम्मन नहीं मिला तो जिला मैजिस्ट्रेट को उन्होंने एक पत्र द्वारा सूचित कियाः ''बिना अधिकारियों को अवगत किए हुए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ कि कल सवेरे में सीरामपुर[12] और आस–पास की बस्तियों मे जा रहा हूँ। अपने साथियों सहित मैं लगभग 3 बजे भोर में प्रस्थान करने की आशा करता हूँ। (यदि कल अदालत में हाजिर होने का सम्मन तामील नहीं किया गया तो)।